न्यायालय : अवर न्यायाधीश, अरेराज, पूर्वी चम्पारण।
स्वत्व वाद संख्या 126/2007
सीआइएस 108.17

प्रस्तुत समक्षः **श्री मनीष कुमार पाण्डेय।**

आदेश

दिनांक 02.12.2023 वाद पुकारा गया। प्रस्तुत वाद साक्ष्य पर निर्धारित है । प्रस्तुत मामले में आवेदन वादी के दिनांक 20.08.2022 को दिये गये आवेदन पर आदेश हेतु निर्धारित है ।

वादी की तरफ से आवेदन में कहा गया है कि दिनांक 02.04.2013 व सबूत दिनांक 04.06.2022 के साथ हाल खतियान 32 व 33 की पक्का नकल जो बयनामा दिनांक 23.05.1953 जंगी महतो बनाम रामनंदन महतो का पक्का नकल दाखिल किया गया है जो कि लोक दस्तावेज है अतः उसे प्रदर्श के रूप में अंकित करने का कृपा की जाए।

प्रतिवादी की तरफ से न्यायालय में कोई पैरवी नहीं है और न ही विगत एक वर्ष में प्रतिवादी द्वारा आवेदन का प्रतिउत्तर दिया गया इसलिए प्रतिउत्तर का अवसर समाप्त कर मामले को आदेश पर निर्धारित किया गया है।

उपस्थित पक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया । अवलोकन के पश्चात न्यायालय यह पाती है कि मामले में वादी की तरफ से प्रस्तुत दस्तावेज हाल खतियान 32 व 33 की पक्का नकल जो बयनामा दिनांक 23.05.1953 जंगी महतो बनाम रामनंदन महतो का पक्का नकल लोक दस्तावेज तथा सुसंगत दस्तावेज हैं अतः प्रस्तुत दस्तावेज को प्रदर्श के रूप में अंकित करने का आदेश दिया जाता है। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि दस्तावेज पर उचित प्रदर्श संख्या अंकित करें। एतद द्वारा प्रस्तुत आवेदन का निपटारा किया जाता है। वाद दिनांक.................................वास्ते वादी साक्ष्य।

लेखापित तथा संशोधित

अवर न्यायाधीश
अरेराज (पूर्वी चम्पारण)